# कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटा (राजस्थान)

क्रमांक : 3531-3542 दिनांक : 11/10/23

## -: कार्यालय आदेश :-

मैं **मनीषा शर्मा,** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटा, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 15(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक 3340-3382 दिनांक 27.09.2023 में प्रशासनिक कारणों से आंशिक परिवर्तन करते **दिनांक 22.10.2023 व 28.10.2023 के** अवकाशों के दिन कोटा शहर तथा कोटा ग्रामीण की सीमा में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी मुकदमात् में जमानत, रिमाण्ड, मृत्युकालीन कथन व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य की सुनवाई के लिये रिमाण्ड ड्युटी हेतु निम्नांकित पीठासीन अधिकारी को निम्न प्रकार से अधिकृत करती हूं;

| क्र.सं. | नाम अधिकारी | पदनाम | दिनांक |
|---|---|---|---|
| 01 | श्रीमती शैला फौजदार MB-9588017388 | अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम-5 कोटा | दिनांक 22.10.2023 के स्थान पर 28.10.2023 के लिए |
| 02 | श्री लोकेन्द्र चौधरी MB-9413203697 | न्यायिक मजिस्ट्रेट, (उत्तर) क्रम-5 कोटा | दिनांक 28.10.2023 के स्थान पर 22.10.2023 के लिए |

**नोट :-**

1. सुविधा की दृष्टि से उक्त पीठासीन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्य हेतु विशेष रूप से दोपहर 1.00 पी.एम. से 3.00 पी.एम. तक एवं प्रातःकालीन न्यायालय समय में 9.00 ए.एम. से 11.00 ए.एम. तक न्यायालय परिसर, कोटा में अपने न्यायालय में उपस्थित रहेंगे।
2. उक्त रिमाण्ड डयूटी प्रत्येक राजपत्रित अवकाश की तिथि के पूर्व कार्य दिवस के कार्यालय समय पश्चात से राजपत्रित अवकाश के अग्रिम कार्य दिवस के कार्यालय समय पूर्व तक रहेगी तथा इस अवधि में राज्य अथवा राज्य के बाहर से कोटा पधारने वाले माननीय न्यायाधिपतिगण के कोटा प्रवास पर उनके आगमन, प्रवास एवं प्रस्थान के दौरान उनके पद एवं गरिमा के अनुरूप एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 06/पीआई/2008 दिनांक 29.07.08 के निर्देशानुसार प्रोटोकॉल ड्युटी भी उक्त अधिकारीगण करेंगे।

Manisha

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोटा (राज0)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोटा (राज.)

क्रमांक: 3531-3542 दिनांक: 11/10/23

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, कोटा
2. संबंधित अधिकारी श्री/श्रीमती ................................................
3. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम-1, कोटा
4. पुलिस अधीक्षक कोटा शहर/कोटा ग्रामीण वास्ते सूचित करने समस्त आरक्षी केन्द्र
5. सहायक निदेशक, अभियोजन कोटा को इस लेख के साथ कि संबंधित दिनांक को न्यायालय में अभियोजन अधिकारी को उपस्थित रहने हेतु निर्देश जारी करें।
6. अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, न्यायालय परिसर, कोटा
7. जूनियर लिपिक/सहायक नाजिर जिला न्यायालय, कोटा
8. नॉडल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कम्प्यूटर कमेटी, कोटा
9. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय कोटा
10. आदेश पत्रावली/नोटिस बोर्ड

Manisha

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोटा (राज0)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोटा (राज.)